6

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 35 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री चन्दन हजरा ~~एवं अन्य~~
प्र०-जमुआ, पंचायत -लताकी
जिला - गिरिडीह

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह ।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | **वाद सं0–35 / 2023** | |

परिवादी श्री चन्दन हाजरा, पंचायत–लताकी, प्रखण्ड–जमुआ, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा लताकी पंचायत के PDS डीलर द्वारा खाद्य सामग्री के वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी का आरोप है कि डीलर द्वारा मार्च, 2023 का NFSA का अनाज नहीं दिया गया। साथ ही पिछले कई काह का PMGKAY का अनाज भी नहीं दिया गया है। यह भी कि ग्रामिणों द्वारा इसकी शिकायत उपायुक्त, गिरिडीह को आवेदन के माध्यम से किया गया। साथ ही परिवादी द्वारा इसकी जानकारी संबंधित प्रखण्ड अधिकारी को की गई, लेकिन गड़बड़ी पाये जाने के बाद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

Sd/- 7.8.23

**(शबनम परवीन)**
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

Sd/-

**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 23.08.2023 | **वाद संख्या–35 / 2023** | |

दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है।

उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें।

**(शबनम परवीन)**
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | **वाद सं0–35/2023** | |
| 08.09.2023 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री चन्दन हाजरा, प्रखण्ड–जमुआ, पंचायत–लताकी, जिला–गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, जमुआ, श्री देवलाल रजवार आयोग कार्यालय में उपस्थित।<br><br>आयोग में उपस्थित प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, जमुआ, देवलाल रजवार ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन समर्पित करते हुए यह बताया है कि शिकायतकर्त्ता ने जिस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की है, उस अवधि का राशन संबंधित उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है, और इस आशय का प्रमाण प्रतिवेदन के माध्यम से समर्पित किया गया है। जिसमें लाभुकों को राशन प्राप्त करने का प्रमाण भी उपलब्ध है। सुनवाई में टेलिफोन से जुड़े शिकायतकर्त्ता को जब आयोग ने यह कहा की लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का प्रमाण आयोग में पेश किया गया है ऐसे में शिकायतकर्त्ता ने यह कहा कि उनका अंगुठा ले लिया गया है किन्तु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग ने शिकायतकर्त्ता को कहा कि यदि शिकायतकर्त्ता बिना अनाज प्राप्त किये अंगुठा लगा देते है तो ऐसे में आयोग कुछ नहीं कर सकता। आयोग ने शिकायतकर्त्ता से आग्रह किया कि वे लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि खाद्यान्न मिलने से पहले किसी भी स्थिति में अपना अंगुठा या हस्ताक्षर न करें। चूँकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है, अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।<br><br>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>D:\Rachana\Court order.docx8 | |

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267